30.7.15

आज पत्रावली सायलान के प्रार्थना-पत्र पर कार्यालय से तलब की जाकर राजस्व-लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प सादपुरी में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के मध्य अभिभाषक उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है कि – " नक्त कायमी रिसीवरी विवादित आराजीयात पर सायल मुरजनसिंह का कब्जा काश्त था, तथा आज भी सायलान का कब्जा काश्त है। अतः विवादित आराजीयात रिसीवरी की कार्यवाही खत्म कर आराजीयात सायलान के कब्जे में सौंपी जावे व कायमी रिसीवरी से अब तक जमा हुई काश्त की राशि सायलान को सौंपी जावे।" उक्त राजीनामा प्रमाणित किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

हमने उभय पक्ष को सुना तथा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 26.9.98 को U/S 146(1) CrPC के० आ० न० 442/0.39, 804/0.44, 805/0.32, 957/0.50, 1083/0.43, 1105/0.28, 1106/0.27 वाके ग्राम गढ़तोडी तह० नगर को कुर्क किया जाकर नायब तहसीलदार सीकरी को रिसीवर नियुक्त किया जाकर इंतजाम काश्त का आदेश दिया गया था। चूंकि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अतः उक्त मुताबिक राजीनामा निर्णीत किया जाता है तथा कि० आ० नं० रिसीवरी [illegible] है तथा आदेशित किया जाता है कि [illegible] आराजी का कब्जा सायलान [illegible] तथा रिसीवरी के दौरान [illegible] जमा राशि मुताबिक सायलान को [illegible] जावे जिसमें [illegible] को नामी प्राप्त नियमानुसार देय होगा। पत्रावली बाद तामील [illegible] पत्रावली के बाद [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:34:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner